

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

14-12-22

पञ्जावली पेश हुई उम्रग्रयण आर्चीवस्ता उपस्थित
वास्ते जभावदाय पेश करने हेतु संग्रह चार्ज
गया न्यायाद्वैत में पेश करने जलप काया
200/- चार्ज पर दिया जाता है. पञ्जावली
वास्ते जभाव आणामी दिनांक 4-1-23 को
पेश हो।
3)

0.49
रकम पत्र
1120/1119
रकम 0.49
हु. इ. 24 ल
रकम 1119
ग. 2

4-1-2023

पञ्जावली पेश हुई आर्चीवस्ता उम्रग्रयण
उपस्थित आर्चीवस्ता प्रतिवादीगण ने जवाब
दाया पेश नहीं कर आउटस्टेकिंग की.
गई गैर प्रतिवादीगण वादी के खातेवासी कृषि
भूमि रकम स. 1120/1119 रकम 0.49 हेतु
ग्राम भाखिदा तहसील इन्डगढ में रकम की
प्रकार की देनपलन्दाजी नहीं करेगे। आर्चीवस्ता
प्रतिवादी ने आउटस्टेकिंग सहमति के तहत
प्रकरण का निस्तारण किया जाता है. निर्णय
पुस्तक से नीचे लिखवाया जा रहा है.

प्र.स. 23/2022 निर्णय 4-1-2023

वादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण के पाद
पत्र प्रस्तुत कर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुरोध
चाहा गया संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार
है कि वादी द्वारा प्रतिवादी स.1 नारायणीदेवी
की खातेवासी कृषिभूमि स.स. 427 रकम
1.96 हेक्टर वाले ग्राम भाखिदा तहसील
इन्डगढ में स्थित कृषि भूमि में से 0.49 हेक्टर
कृषि भूमि शस्ते के मध्य से 80 फीट भूमि
शस्ते के लिए समर्पित करते हुए जमीन
राजस्व की गई थी जिसका निश्चयकार
तबगीम परचात नोमान्तरण तस्दीक कर
राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज किया गया

3
अधिकारी (व्यक्ति)
प्रा. 0

जिसके नवीन स्वसय स. 1120/1119 रुका
 0.49 एकर का बाजस रिकार्ड में दर्ज किया
 गया बाकी बाका कब्जा प्राप्त कर चने की
 फसल काश्त की है प्राहिवादीगण काय बादी
 द्वारा क्रय शुद्धा स्वादेदायी कृषि भूमि स्व. स.
 1120/1119 व रास्ते एव समर्पित भूमि में
 नाजायज कृष से दखन्दाजी कर फसल काटकर
 ले जाने की घबकी दी गई इस पर बादी
 द्वारा प्राहिवादीगण को बादी के कब्जे काश्त व
 समर्पित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार की
 दखन्दाजी नहीं करने का कत श्वायी निषेधना
 का अनुरोध पाछ गया।

हमारे द्वारा आधीवत्ता उभयपक्ष को सुना
 गया उभयपक्ष आधीवत्ता ने वाद का निष्पत्ता
 किये जाने की सहमति दी गई। प्राहिवादीगण
 के आधीवत्ता ने शौखिक अन्डर टैकिंग दी गई
 कि प्राहिवादीगण बादी के स्वादेदायी कृषि भूमि
 स्वसय स. 1120/1119 काय माशिया तहसील इन्डिया
 स्थित भूमि पर किसी प्रकार की दखन्दाजी
 नहीं करेंगे। जिसका अंकन प्राहिवादी आधीवत्ता
 द्वारा आदेहीका पर किया गया।

अतः वाद पत्र निरर्तित किया जाता है
 कि उभयपक्ष राजस्व रिकार्ड में अंकित एक-
 दुसरे की स्वादेदायी कृषि भूमि बादी की स्वादेदायी
 कृषि भूमि स्वसय स. 1120/1119 का एव प्राहिवादीगण
 की कृषि भूमि स्व. स. 427, 439 वाले ग्राम
 माशिया तहसील इन्डिया स्थित कृषि में किसी
 प्रकार की दखन्दाजी नहीं करेंगे। और
 न ही अन्य अपने प्राहिवादीगण से करेंगे।
 रास्ते के लिए समर्पित भूमि रास्ते के अलावा
 अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं लेने और
 न ही किसी प्रकार का कब्जा करे कुभय.

उपस्थित अधिकारी
 बाबरी (बुबी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मग इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	-----------------------------------	--

हुक्मशुदा को इस प्रकार से शर्मा निवेदन
 से वाबंद रकिया जाता है। तदनुसार
 पक्षी डिप्टी जारी हो। यथावली कोसल सुधर
 होकर काड तस्मील दाखिल कएत है।
 तनीचि तलीसवाया आकर सुले न्यशालय
 में सुनाया गया।

५
 उपजण्ड अधिकारी
 बाबरी (बुन्धी)

2. रामनारायण वैशवा पुत्र धानूशम वैशवा
3. सत्यनारायण पुत्र रामनारायण वैशवा
4. राजेश पुत्र रामनारायण वैशवा
5. अक्षय कुमार पुत्र सत्यनारायण वैशवा

सभी जातीयन वैशवा निवासीयन रईशोरपुरा तहसील
 सांगानेर जिला अथपुर टाल निवासी ग्राम भाषिकदा
 तहसील इन्कशह जिला-सुन्ही.

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
 बाबरी (दुनी)